

**C O N T E N T S**

**Sixteenth Series, Vol. XXXI, Fourteenth Session, 2018/1940 (Saka)  
No. 27, Tuesday, April 3, 2018/Chaitra 13, 1940 (Saka)**

<b><u>S U B J E C T</u></b>	<b><u>P A G E S</u></b>
<b>ORAL ANSWER TO QUESTION</b>	
Starred Question No. 501	5-8
<b>WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS</b>	
Starred Question Nos. 502 to 520	9-77
Unstarred Question Nos. 5751 to 5980	78-549

<b>PAPERS LAID ON THE TABLE</b>	551-556
<b>STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE</b> 51 <sup>st</sup> Report	557
<b>STANDING COMMITTEE ON COMMERCE</b> 142 <sup>nd</sup> Report	577
<b>STATEMENT BY MINISTER</b> Incidents of violence during Bharat Bandh Called on 2 <sup>nd</sup> April, 2018  <b>Shri Rajnath Singh</b>	559-562
<b>OBSERVATION BY THE SPEAKER</b> Notices of Motion of No-Confidence	563-567
<b><u>ANNEXURE – I</u></b> Member-wise Index to Starred Questions	568
Member-wise Index to Unstarred Questions	569-573
<b><u>ANNEXURE – II</u></b> Ministry-wise Index to Starred Questions	574
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	575

**OFFICERS OF LOK SABHA**

**THE SPEAKER**

Shrimati Sumitra Mahajan

**THE DEPUTY SPEAKER**

Dr. M. Thambidurai

**PANEL OF CHAIRPERSONS**

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

**SECRETARY GENERAL**

Shrimati Snehlata Shrivastava

## LOK SABHA DEBATES

---

---

LOK SABHA

-----

Tuesday, April 3, 2018/Chaitra 13, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

*(At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)*

**11 01 hrs**

**ORAL ANSWER TO QUESTION**

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Q. No. 501; Shri Rama Kishore Singh.

... *(Interruptions)*

**माननीय अध्यक्ष :** क्या रामा किशोर सिंह जी हैं?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Gajanan Kirtikar.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Is Shri Gajanan Kirtikar there?

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: The hon. Minister.

... *(Interruptions)*

**(Q. 501)**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर):** अध्यक्ष महोदया, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है।.....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बात है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

**11 03 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.*

---

**12 00 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.*

*(Hon. Speaker in the Chair)*

*... (Interruptions)*

*(At this stage, Shrimati V. Sathyabama, Shri G. Hari and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)*

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। इसलिए मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

**12 02 hrs****PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

... (Interruptions)

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह):** अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9098/16/18]

- (3) (एक) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(दो) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9099/16/18]



THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.  
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2016-17.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9100/16/18]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957:-
  - (i) S.O. 4117(E) published in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> December, 2017, regarding fixation of use conversion charges on upper residential floors of various markets (Sarojini Nagar Market, Khan Market and Green Park Extension etc.).

- (ii) S.O. 1053(E ) published in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> February, 2018, regarding modification in the Unified Building Bye Laws for Delhi, 2016 and notified under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 are operative part of Unified Building Bye Laws for Delhi, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 9101/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

- (1) Report of the Comptroller and Auditor General of India – Union Government (Civil) (No. 3 of 2018) (Compliance Audit Observations) – Union Territories without Legislatures for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 9102/16/18]

- (2) Report of the Comptroller and Auditor General of India – Union Government (Civil) (No. 4 of 2018) – Compliance Audit Observations) for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 9103/16/18]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
  - (एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन।
  - (दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई का ज्ञापन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9104/16/18]

- (3) शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत शत्रु संपत्ति (संशोधन) नियम, 2018 जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 256 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9105/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): On behalf of Shri Parshottam Rupala, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Essential Commodities Act, 1955:-

- (1) S.O. 909 (E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> March, 2018, fixing the price of 45 kg bag of Urea under sub-clause 1 of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1985.
- (2) S.O. 866 (E) published in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> February, 2018, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 359 (E) dated 24<sup>th</sup> January, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9106/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS(SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table a copy of the National Fire Service College, Nagpur, Director (Group 'A' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification NO. G.S.R. 62 in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> February, 2018 under article 309 of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 9107/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA):- I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9108/16/18]

---

**12 03 hrs**

**STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE**

**51<sup>st</sup> Report**

DR. TAPAS MANDAL(RANAGHAT): I beg to present the Fifty-first Report (Hindi and English versions) (Sixteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Agriculture (2017-18) on the Subject 'Variance in Cost and Quality of Agricultural Tools and Implements being provided to the Farmers under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) and problems being faced by the Farmers due to Imported Power Tillers – A Review' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare).

---

**12 04 hrs**

**STANDING COMMITTEE ON COMMERCE**

**142<sup>nd</sup> Report**

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदया, मैं "मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण" के बारे में समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 142वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

---

HON. SPEAKER: Shri Rajnath Singh Ji.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please keep quiet.

... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री राजनाथ सिंह जी कुछ स्टेटमेंट देना चाहेंगे। कृपया उसे सुनिए।

...(व्यवधान)

**12 05 hrs**

**STATMENT BY MINISTER**

**Incidents of violence during Bharat Bandh  
Called on 2<sup>nd</sup> April, 2018**

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह):** माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत बंद के दौरान सारे देश में हुई हिंसा की घटनाओं के संबंध में, मैं अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूँ...( व्यवधान)

मैं बहुत ही गंभीर विषय पर स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया सदन में शांति-व्यवस्था बनाये रखें। ...( व्यवधान)

महोदया, कल देश के कई हिस्सों में हिंसा एवं आगजनी की घटनाएँ हुईं। भारत बंद के दौरान हिंसा की घटनाओं में आठ लोगों की मृत्यु हुई है। ...( व्यवधान) मध्य प्रदेश में छह, उत्तर प्रदेश में एक तथा राजस्थान में एक व्यक्ति की मृत्यु की घटना के अलावा बंद के दौरान भीड़ तथा पुलिस में कई जगहों पर टकराव की घटनाएँ भी हुई हैं। ...( व्यवधान)

मैं सबसे पहले इन घटनाओं में मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। ...( व्यवधान)

मैं यह भली-भांति समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में व्यापक रोष है। इस केस में भारत सरकार पार्टी नहीं थी। इस फैसले के विरुद्ध लोग चिन्तित होकर सड़कों पर उतर आए हैं।...( व्यवधान) मैं यह भारत सरकार की तरफ से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तथा एससी एवं एसटी समुदाय के लोगों को संविधान द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सरकार उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ...( व्यवधान)

मैं इस सदन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में कोई भी डायलूशन नहीं किया है, बल्कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही, इस संदर्भ में एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के



मौजूदा प्रावधानों का अवलोकन किया और निर्णय लिया कि इनको और भी स्ट्रेंडेन किया जाए ... (व्यवधान)

अतः वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने 'The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act' भी पारित किया। इसके द्वारा एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में नये ऑफेंसेज को जोड़ा गया, जो पहले नहीं थे ... (व्यवधान) यह भी पाया गया कि दोषियों को सजा देने में विलम्ब होता है या चार्ज इस्टैब्लिश ही नहीं हो पाता है क्योंकि विक्टिम अथवा विट्नेस जो कि पहले ही शोषित है, पर जोर-दबाव देकर चुप कराने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस संशोधन द्वारा विट्नेस प्रोटेक्शन का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने यह भी किया है कि पीड़ितों को दी जाने वाली राहत की राशि में भी बढ़ोतरी की है। हमने यह भी प्रावधान किया कि इस कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ... (व्यवधान)

मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार एससी/एसटी के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ... (व्यवधान)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तुरन्त बाद यह निर्णय लिया गया कि हमारी सरकार इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि यह याचिका 2 अप्रैल को दाखिल कर दी गयी है। ... (व्यवधान)

लर्नेड अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि रिव्यू पिटिशन पर शीघ्र सुनवाई प्रारम्भ की जाए। ... (व्यवधान) माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताते हुए आज दो बजे से ही रिव्यू पिटिशन की सुनवायी का समय तय कर दिया है। इससे सरकार की तत्परता पर किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश शेष नहीं रह जाती है। ... (व्यवधान) मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 मार्च, 2018 को आया। इसके उपरान्त मात्र छह वर्किंग डेज़ के अन्दर पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के

साथ समस्त प्रक्रियाओं और कानूनी परामर्श की कार्रवाई को पूरा करते हुए 2.04.2018 को केन्द्र सरकार की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर कर दी गयी।...( व्यवधान)

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आरक्षण को लेकर जो तरह-तरह की अफवाहें फैलायी जा रही हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। ...( व्यवधान)

हमारी सरकार SC/ST के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और अध्यक्ष महोदया मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे शांति और संयम बनाए रखें। ...( व्यवधान) हमने सभी राज्यों को शांति बनाए रखने के लिए advisory भी जारी की है। शांति बहाल करने के लिए, राज्यों ने जो भी मदद मांगी है, हमने तत्परतापूर्वक उसे उपलब्ध भी कराया है।...( व्यवधान)

गृह मंत्रालय इस मामले पर नज़र बनाए हुए है तथा हम राज्य सरकारों के भी लगातार संपर्क में हैं।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम से समस्त देशवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूँ। ...( व्यवधान) साथ ही मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वे देश में शांति व्यवस्था तथा भाईचारा बनाए रखने में पूरी तरह सहयोग करें। ...( व्यवधान)

धन्यवाद।

[Placed in Library, See No. LT 9108 A /16/18]

---

**12 11 hrs**

**OBSERVATION BY THE SPEAKER**  
**Notices of Motion of No-Confidence**

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Motion of No Confidence in the Council of Ministers from S/Shri Thota Narasimham, Mekapati Rajamohan Reddy, Y.V. Subba Reddy, P.V. Midhun Reddy, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, N.K. Premachandran, Srinivas Kesineni, P. Karunakaran, Mohd. Salim, Shrimati Renuka Butta, Jyotiraditya M. Scindia, Jayadev Galla, Asaduddin Owaisi and C.N. Jayadevan. I am duty bound to bring the notices before the House.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats. I have to put it before the House.

... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** मुझे हैड काउंट भी करना पड़ेगा। प्लीज, आप बैठिए तो सही। मैं कैसे कर सकती हूँ?

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** कल्याण जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, with what the hon. Minister has said before the Supreme Court at paragraph 30 of the Judgement,

... \*

---

\* Not recorded

HON. SPEAKER: This will not go on record.

...(Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर कोई बात नहीं होगी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** देखिए, रोज-रोज़ ऐसे नहीं चलेगा। मैं नो कॉन्फिडेंस ले नहीं पा रही हूँ।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ज्योतिरादित्य जी, इस पर आपको क्या बोलना है, ?

...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, we are very clear. We want a discussion. ... (Interruptions) There are more than 50 Members, who are standing in the House.... (Interruptions) We want a discussion as the dilution of the SC/ST Act has been done by the Supreme Court. ... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** यह हमें भी मालूम है, मगर इस तरीके से नहीं चलेगा। I am sorry.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, Shri Ananthkumar ji wants to say something.

... (Interruptions)

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार):** अध्यक्ष जी, ज्योतिरादित्य जी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए हम पिछले 15 दिनों से तैयार हैं, सरकार इसके लिए तैयार है, ...(व्यवधान) लेकिन मैं ज्योतिरादित्य जी से कहना चाहता हूँ कि वे ऑर्डर बनाए रखें। जब वे ऑर्डर बनाए रखेंगे, तब ही आप इजाज़त देंगी और काउंटिंग कर सकेंगी। ...(व्यवधान) यदि इसमें कोई गतिरोध पैदा कर रहा है, तो वह कांग्रेस पार्टी गतिरोध पैदा कर रही है। ...(व्यवधान) डे वन से वह गतिरोध पैदा कर रही

है।...(व्यवधान) वे दिखावटी लोकतंत्र का आचरण कर रहे हैं। ...( व्यवधान) बाहर लोकतंत्र का प्रवचन करते हैं और अंदर आकर सदन को और लोकतंत्र को रोकने की कोशिश करते हैं।  
...(व्यवधान) मैडम, यह नहीं चलेगा। हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए सदैव तैयार हैं। ...( व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि आप हल्ला भी करें और काउंटिंग करने के लिए भी कहें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. It cannot go on like this.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am requesting all of you to go back.

... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** आप खड़े भी रहेंगे, आप हल्ला भी करेंगे और आप काउंटिंग की भी बात करेंगे, सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** जो वास्तव में चर्चा चाहते हैं, वे कृपया शांति से बैठें। आपके खड़े होकर चिल्लाने से काम नहीं होता है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

... (Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा नहीं होता है। You will have to go.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग बैठ गए हैं। You have to go back. Only then, I can count.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please do not do that.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry. You are not going back. I cannot count.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Since the House is not in order, I will not be able to bring the notices before the House.

I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, this is not the way. You please go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 4<sup>th</sup> April, 2018.

**12 17 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 4, 2018 / Chaitra 14, 1940 (Saka).*

---